न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.
अपील संख्या 14/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/15)

राजाराम पुत्र जयनारायण जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. जगतपाल पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागाान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।
3. ग्राम पंचायत गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जरिये सरपंच

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री चतुर्भुज सारस्वत – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं.1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 31–01–2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 04.08.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने सरपंच ग्राम पंचायत गोलूवाल सिहागान द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं. 559 दिनांक 27.05.2019 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.08.2021 द्वारा बैयनामा सक्षम ऑथोरिटी द्वारा पंजीकृत मानते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3 को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट विकलांग व्यक्ति है। शारीरिक एवं मानसिह रूप से अस्वस्थ रहता है। अपीलान्ट के नाम से पुस्तेनी कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 एमओडी के पं. नं.31/253 किला नं. 3 में 0.253, किला नं. 4 में 0.126, किला नं. 7 में 0.127, किला नं. 8 में 0.253, किला नं. 13 से 16 में 0.012, कुल 1.771 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि स्थित है। अपीलान्ट ने कभी भी अपनी उक्त भूमि को किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया, ना ही किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त किया, ना ही मौके पर कभी कब्जा ही सौपा। फिर भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अन्य व्यक्तियो से साज–बाज करके किला नं. 3, 8 व 13 की 0.759 हैक्टर भूमि का दस्तावेज तैयार कर विक्रय पत्र दिनांक 09.01.2019 को होना बता रहा है। जबकि अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित नही किया। उक्त विक्रय पत्र कूटरचित, फर्जी है। उक्त तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 3 से साज बाज कर बिना मौका की जाचं किये नामान्तरण सं. 559 दिनांक 27.05.2019 को स्वीकृत करवा लिया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की लेकिन किसी भी तथ्य व कानून पर गौर किये बिना अपील खारिज कर दी। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुनवाई का नोटिस दिये बिना, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पर नामान्तरण जैर अपील स्वीकार किया है। राजाराम वनाम जगतपाल मे न्यायालय सहायक कलक्टर पीलीबंगा द्वारा विवादित भूमि की मौके व रिकोर्ड की रिपोर्ट चाही तो तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसके मुताबिक नामान्तरण दर्ज हो चुका है। लेकिन मौके पर फसल नरमा काश्त की हुई है। उक्त काश्त राजाराम द्वारा कराई होना बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि मौके पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 का कब्जा नही रहा। नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व कानून मौके की जाच की जानी आवश्यक है। विक्रय पत्र विवादित था। ऐसे विवादित विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत को तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार ही प्राप्त नही था। ग्राम पंचायत की

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

केवल 5 व 20 तारीख को मिटिग होती है, लेकिन 27 तारीख को स्पेशल मिटिग रख कर विवादित विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के विरूद्व फौजदारी मामला भी अपीलान्ट पर नाजायज दबाव डालने हेतु करवाया है जिसमें कार्यवाही जैरकार है। अभी तक किसी प्रकार का कोई अन्तिम निर्णय किसी भी न्यायालय द्वारा पारित नही किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्णतयाः मनघडन्त एवं मिथ्या है। जिसका इस अपील पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नही होगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रथम अपील न्यायालय के आदेश जैर अपील को निरस्त फरमाया जावे तथा इन्तकाल सं. 559 दिनांक 27.05.2021 को निरस्त कर सिविल कोर्ट के निर्णय तक प्रकरण पेन्डिग रखा जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने रजिस्ट्र्ड इकरानामा व बैयनामा चक 16 एमओडी के प. नं. 31/153 किला नं. 3, 8 व 13 की कुल 0.759 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट जगतपाल को विक्रय की। रेस्पोडेन्ट सं. 1 उक्त भूमि का खरीद शुदा है। रेस्पोडेन्ट ने खरीदशुद्वा कृषि भूमि का नामान्तरण सरपच ग्राम पंचायत गोलुवाला सिहागान के समक्ष पेश किया। ग्राम पचायत की बैठक आयोजन किया गया। जिसकी सूचना समस्त वार्ड पंचो की दी गई। तय बैठक में उक्त नामान्तरण को अलावा तीन अन्य नामान्तरण भी खोले गए। कुल चार प्रस्ताव पारित किये गये। नामान्तरण सं. 559 विधिक प्रक्रिया एवं नियमो के अन्तर्गत जारी किया गया है। अपीलान्ट ने इस संबध में सिविल न्यायालय में दावा किया जो अभी विचाराधीन है, तथा अपीलान्ट ने FIR दर्ज करवाई जिसमें तीनो मे FR लग चुकी है। अपीलान्ट ने दावा भी किया लेकिन उसमें भी कामयाबी नही मिली। सिविल न्यायालय ने नामान्तरण सं. 559 को गलत नही माना है। अतः अपीलान्ट की अपील मेन्टेनेबल नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 04.08.2021 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें अपीलान्ट की अपील को खारिज किया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में सरपंच ग्राम पंचायत गोलूवाला सिहागान द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं. 559 दिनांक 27.05.2019 को निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की थी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तरण सं. 559 पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिसे संक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त किये बिना उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरण को निरस्त करने का कोई विधिक कारण नही है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के द्वारा अपील को खारिज किया गया है, अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में विधिक त्रुटि प्रकट करता हो। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के आवश्यकता नही समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.पच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर